



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 12.11.22

गाजियाबाद पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र ट्रॉनिका सिटी में हुई गला रेंटकर हत्या का 36 घण्टे के अन्दर खुलासा । पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त व एक अभियुक्ता गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल चाकू व घटना के समय पहने कपडे बरामद ।

दिनांक 12.11.2022 को रात्रि 03.00 बजे डायल 112 के माध्यम से थाना ट्रॉनिका सिटी पर सूचना प्राप्त हुई थी कि खुशहाल पार्क में एक व्यक्ति की गला रेंटकर हत्या कर दी गयी है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी ट्रॉनिका सिटी मय पुलिस बल/फील्ड यूनिट के मौके पर पहुँचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। फील्ड यूनिट के माध्यम से मौके से साक्ष्य संकलन कर पूछताछ की गयी। घटना के सम्बन्ध में वादी मौ० इनियाज पुत्र मौ० समीम निवासी खुशहाल पार्क थाना ट्रॉनिका सिटी जनपद गाजियाबाद की तहरीर के आधार पर थाना ट्रॉनिका सिटी पर मु०अ०सं० 639/22 धारा 302/201 भादवि बनाम अज्ञात वादी के भाई मृतक अय्याज की हत्या के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना के सम्बन्ध में श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण में टीम गठित की गई व घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु निर्देशित किया गया।

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में आज दिनांक 13.11.22 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, महोदय के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी महोदय लोनी के उचित निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक श्री पुनीत कुमार की पुलिस टीम व टीम पुलिस अधीक्षक ग्रामीण की संयुक्त कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर मुरमुरा काँलोनी कट के सामने से समय 10.00 बजे अभियुक्त मौ० आमिर पुत्र मौ० समीम निवासी खुशहाल पार्क थाना ट्रॉनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष को गिरफ्तार किया तथा अभियुक्त से पूछताछ के बाद घटना में शामिल अभियुक्ता सजरा खातून पत्नी मौ० अय्याज निवासी खुशहाल पार्क थाना ट्रॉनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष को समय 13.00 बजे उसके खुशहाल पार्क स्थित घर से गिरफ्तार किया तथा अभियुक्त मौ० आमिर की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल एक अदद चाकू व घटना के समय पहने कपडो को बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मृतक मेरा सगा बडा भाई था। मैं खुशहाल पार्क में वहीं नजदीक अपने भाई से अलग रहता हूँ। तथा उसकी पत्नी सजरा मेरी भाभी खातून से मेरे काफी समय से

अवैध सम्बन्ध चल रहे थे। जिसका मेरे भाई को पता चल गया था। मेरा भाई मेरे व मेरी भाभी के सम्बन्धों का विरोध करता था। जिसके कारण मैंने व मेरी भाभी सजरा खातून ने मेरे भाई मौ० अय्याज की हत्या करने की योजना बनाई कि मैं रात में आऊँगा और तुम दरवाजा खुला रखना और लाइट बन्द कर देना। इस योजना पर दिनांक 11/12.11.22 की रात्रि में लगभग 02.00 बजे मैं घर में रखे छुरे को लेकर बुर्का पहनकर भाई अय्याज के घर आया। योजनानुसार लाइट बन्द करने पर भाभी सजरा खातून द्वारा घर के मुख्य दरवाजे के अन्दर की कुन्डी खोली गयी। मैं मकान के अन्दर घुस गया व मैंने व मेरी भाभी ने चाकू से वार कर गला रेंटकर मेरे भाई मौ० अय्याज की हत्या कर दी तथा घर की सीढियों से होते हुए मदरसे की छत का सहारा लेकर मौके से भाग गया। मैंने पहने कपड़े जो खून में सन गये थे तथा बुर्का व तौलिया अपने मकान पर जाकर अपने बक्से में रख दिये तथा हत्या के लिये प्रयोग में लाया गया छुरा अपने मकान के पीछे खाली पड़े प्लॉट में छुपा दिया और अपने घर सो गया।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त व अभियुक्ता उपरोक्त द्वारा दिनांक 11/12.11.2022 की रात्रि में मृतक मौ० अय्याज पुत्र मौ० समीम निवासी खुशहाल पार्क थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद की योजना बनाकर गला रेंटकर हत्या की गयी। अभियुक्त के बयानों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 120बी भादवि व आलाकत्ल की बरामदगी के आधार पर धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी है।

नाम पता अभियुक्त/अभियुक्ता:-

1. मौ० आमिर पुत्र मौ० समीम निवासी खुशहाल पार्क थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष

2. सजरा खातून पत्नी मौ० अय्याज निवासी खुशहाल पार्क थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष

अभियोग का विवरण:-

1. मु०अ०सं० 639/22 धारा 302/201/120-बी भादवि व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद

बरामदी का विवरण:-

आला कत्ल एक अदद चाकू व घटना के समय पहने कपड़े बुर्का पाजामा व तौलिया बरामद

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक ट्रोनिका सिटी श्री पुनीत कुमार
2. उ०नि० संदीप कुमार
3. का० 3780 रविन्द्र कुमार
4. का० 3780 मुनेन्द्र कुमार
5. का० 238 दीनदयाल
6. का० 240 विकास यादव

7. म0का0 1390 सविता

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा सट्टे की खाई बाडी करने वाले 01 अभियुक्त को मय एक अदद मोबाइल फोन, पर्चा सट्टा, बाल पेन व 1490 रुपये सहित गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांक: 13.11.22 समय 04.30 बजे राजीव कालोनी को जाने वाली रोड पर मोहन नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से अभियुक्त हिमांशु पुत्र भीमसैन उम्र 20 वर्ष निवासी म0नं0 954 A BLOCK राजीव कालोनी मोहन नगर थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद को गिरफ्तार किया। मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यावाही की जा रही है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि साहब मैं सट्टे की खाई बाडी का काम करता हूँ तथा मुझसे बरामद रुपये सट्टे की खाईबाडी से कमाये है। जो व्यक्ति मेरे पास नहीं आ सकते वो मुझे मोबाइल पर WHATS APP पर नम्बर लिखवा देते है मैं उनका सट्टा लगवाता हू। जिसके संबंध में थाना साहिबाबाद पर मु0अ0स0 1799/22 धारा 13 जी एक्ट बनाम हिमांशु उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

हिमांशु पुत्र भीमसैन उम्र 20 वर्ष निवासी म0नं0 954 A BLOCK राजीव कालोनी मोहन नगर थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 1799/22 धारा 13 जी एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 श्री हरेन्द्र मलिक

है0कां0 1039 पवन कुमार

बरामदगी विवरण

एक अदद मोबाइल फोन, पर्चा सट्टा, बाल पेन व 1490 रुपये

थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा 03 नफर शातिर अभियुक्तों को चोरी के चार अदद मोबाइल व तीन चार्जर व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल सहित किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना नन्दग्राम श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान थाना नन्दग्राम क्षेत्र में ओमेगा तिराहे की तरफ से मुखबिर की सूचना पर 03 नफर अभियुक्त (1) नितिन पुत्र सुशील कुमार नि0 रामनगर कालोनी ग्राम अटोर थाना नन्दग्राम गा0बाद उम्र करीब 19 वर्ष (2) नितीश पुत्र विजय मेहता निवासी

रामनगर कालोनी ग्राम अटोर थाना नन्दग्राम गा0बाद उम्र करीब 20 वर्ष (3) दानिश पुत्र शफीक नि0 कांच का पुल इस्लामाबाद बुन नगर चौपले के पास थाना लिसाड़ीगेट मेरठ उम्र करीब 29 को चोरी के चार मोबाईल फोन 1. वीवो वी 23 प्रो जिसका IMEI नं0 01 867718054675193 IMEI नं0 02 867718054675185 अभि0 नितिन के कब्जे से (2) वीवो वी 25 प्रो ग्रे कलर का मोबाइल मय चार्जर जिसका आईएमईआई नं0 1 868519066262270 आईएमईआई नं0 2 868519066262262 अभि0 नितिश के कब्जे से (3) वीवो वी 25 प्रो ग्रे कलर का मोबाइल मय चार्जर जिसका आईएमईआई नं0 1 868519066262270 आईएमईआई नं0 2 868519066262262 व वीवो वी 25 प्रो ग्रे कलर का मोबाइल मय चार्जर जिसका IMEI नं1 868519066382110 व IMEI नं 2 868519066380102 मय चार्जर अभि0 दानिश के कब्जे से व मोएक अदद मो0सा0 BAJAJ XCD 125 UP 14 AM 3395 (घटना मे प्रयुक्त) सम्बन्धित मु0अ0सं0 -1023/22 धारा 379 भादवि नन्दग्राम जिसमें बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। पुलिस द्वारा दिनांक 13.11.2022 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

बरामदगी का विवरण:-

1. वीवो वी 23 प्रो जिसका IMEI नं0 01 867718054675193 IMEI नं0 02 867718054675185
2. वीवो वी 25 प्रो ग्रे कलर का मोबाइल मय चार्जर जिसका आईएमईआई नं0 1 868519066262270 आईएमईआई नं0 2 868519066262262
3. वीवो वी 25 प्रो ग्रे कलर का मोबाइल मय चार्जर जिसका आईएमईआई नं0 1 868519066262270 आईएमईआई नं0 2 868519066262262
4. वीवो वी 25 प्रो ग्रे कलर का मोबाइल मय चार्जर जिसका IMEI नं1 868519066382110 व IMEI नं 2 868519066380102

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

(1)- 1) नितिन पुत्र सुशील कुमार नि0 रामनगर कालोनी ग्राम अटोर थाना नन्दग्राम गा0बाद उम्र करीब 19 वर्ष (2) नितिश पुत्र विजय मेहता निवासी रामनगर कालोनी ग्राम अटोर थाना नन्दग्राम गा0बाद उम्र करीब 20 वर्ष (3) दानिश पुत्र शफीक नि0 कांच का पुल इस्लामाबाद बुन नगर चौपले के पास थाना लिसाड़ीगेट मेरठ उम्र करीब 29

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

☛ मु1023 0सं0अ0/379 धारा 22/ भादवि 411

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रश्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी 0नि0
2. उश्रीमति रविता चौधरी 0नि0
3. उ श्री आदित्य कुमार 0नि0

4. हैप्रताप सिंह 0839का0

5. कादीपक कुमार 2128 0

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 1 अभियुक्त गिरफ्तार जिसके कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज व एक अदद मोटरसाईकिल चोरीशुदा(स्पलैण्डर प्रो DL5SBW7965) व फर्जी नम्बर प्लेट DL3SCW3990 बरामद किया गया।

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांक: 13.11.22 समय 11.25 बजे राजबाग मैट्रो स्टेशन अराधना कट पर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से अभियुक्त जिशान पुत्र अब्दुल वहाव निवासी E 57 सुन्दर नगरी थाना नन्द नगरी दिल्ली 93 उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया। मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि साहब मैं यह मोटर साईकिल मैंने 02-03 महीने पहले दिल्ली से चोरी की थी जिस पर मैं फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर चला रहा था तथा बराद चाकू के बारे में लाइसेंस तलब किया तो नहीं दिखा सका। जिसके संबंध में थाना साहिबाबाद गाजियाबाद पर मु0अ0स0 1800/22 धारा 411/414/482 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

जिशान पुत्र अब्दुल वहाव निवासी E 57 सुन्दर नगरी थाना नन्द नगरी दिल्ली 93 उम्र करीब 20 वर्ष

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 1800/22 धारा 411/414/482 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट

ई-एफआईआर नं0 023426/22 धारा 379 भादवि दिल्ली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 श्री नवीन कुमार

है0का0 415 भगवती

का0 1800 प्रभात सिरोही

बरामदगी विवरण

एक अदद चाकू नाजायज व एक अदद मोटरसाईकिल चोरीशुदा (स्पलैण्डर प्रो DL5SBW7965) व फर्जी नम्बर प्लेट DL3SCW3990

थाना मसूरी पुलिस द्वारा गैगस्टर एक्ट में वांछित एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही - श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री मुनिराज जी. द्वारा गैगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा0 ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री निमिष पाटिल के पर्यवेक्षण में दिनांक 13.11.2022 को प्रभारी

निरीक्षक रविन्द्र चन्द्र पंत थाना मसूरी गाजियाबाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद व उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 805/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मसूरी गाजियाबाद में वांछित 01 नफर अभियुक्त **गुफरान पुत्र तौसीफ निवासी ग्राम पिपलेडा थाना धौलाना जनपद हापुड उम्र 28 वर्ष** को मसूरी नहर अन्डरपास नाहल अड्डे से समय करीब 12.25 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त -

- गुफरान पुत्र तौसीफ निवासी ग्राम पिपलेडा थाना धौलाना जनपद हापुड उम्र वर्ष 28

अपराधिक इतिहास अभियुक्त -

- (1)- अ0स0-405/2020 धारा-3/5/8 गौवध अधि0 थाना भोजपुर।
- (2)- अ0स0-409/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना भोजपुर।
- (3)- अ0स0- 805/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मसूरी।

गिरफ्तारी / पर्यवेक्षण करने वाली टीम -

- (1) प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र चन्द्र पंत।
- (2) उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद।
- (3) का0 219 अजय कुमार।
- (4) का0 2825 मनीष कुमार।

थाना निवाडी पुलिस द्वारा 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 22300 रु0 व चोरी की स्कैप प्लेट (वजन करीब 25 किलो) बरामद।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री मुनिराज जी द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी मोदीनगर के पर्यवेक्षण में थाना निवाडी पुलिस द्वारा चोरी के मुकदमा में वांछित 03 नफर अभियुक्त 1. हरीश पुत्र वीर सिंह निवासी सिखैड़ा हजारी थाना निवाडी गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष 02.सागर पुत्र सैन्सरपाल निवासी अम्बेड़कर बस्ती थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र- 24 वर्ष व 3. रिजवान पुत्र नूरहसन निवासी कलछीना थाना भोजपुर गा0बाद उम्र- 29 वर्ष संबंधित मु0अ0स0- 228/22 धारा 380/411 भादवि में गिरफ्तार किया गया।

अपराध करने का तरीका:-

अभि0गण द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर चोरी करना व अन्य सहअभियुक्त को बेच देना।

बरामदगी का ववरण:-

अभि0 हरीश के कब्जे से 11900 रुपये, अभि0 सागर के कब्जे से 10400 रुपये व अभि0 रिजवान के कब्जे से स्कैप प्लेट वजन करीब 25 कि0ग्रा0 चोरी के बरामद होना।

गिरफ्तार अभियुक्त—

1. हरीश पुत्र वीर सिंह निवासी सिखैड़ा हजारी थाना निवाड़ी गाजियाबाद उम्र करीब वर्ष 26
2. सागर पुत्र सैन्सरपाल निवासी अम्बेड़कर बस्ती थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 24 -वर्ष
3. रिजवान पुत्र नूरहसन निवासी कलछीना थाना भोजपुर गा 29 -बाद उम्र0वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम:—

1. उ0नि0 श्री कनिष्क थाना निवाड़ी गा0बाद
2. उ0नि0 श्री सोमवीर सिंह थाना निवाड़ी गा0बाद
3. उ0नि0 श्री अंकित सैनी थाना निवाड़ी गा0बाद
4. का0चा0 रविन्द्र सिंह थाना निवाड़ी गा0बाद

अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग:—

1. मु0अ0स0 228/22 धारा 380/411 थाना निवाड़ी जनपद गाजियाबाद